Joint Committee Report in the matter of O.A No. 893 of 2022 Varun Kumar Sharma V/s State of Uttar Pradesh & Ors.

In the aforesaid matter, Varun Kumar Sharma raising grievance that Jariban Singh, Ram Prasad, Ratan Singh and Dhan Singh have allowed their agricultural land on Khasra No. 105(A) and (B) 2.5835 ha land at village and post Gutila Block Barauli Ahir District Agra for use of industrial activities to a road construction company who is carrying out stone crushing and burning of coal tar activities in big furnace creating severe air pollution in the residential area causing pollution in the air. They are also causing pollution in a pond used by domestic cattle for drinking purposes by dumping of garbage near the said pond. The said activities are continuing in collusion with the authorities who are not taking any action against the said industrial unit.

Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the direction on dated 20.02.2023 in the above O.A No. 893 of 2022 (Varun Kumar Sharma V/s State of Uttar Pradesh & Ors). The relevant part of the order is as below: -

"3. In our view the complaint and the grievance raised in the matter can be examined by the Local Authorities, for the purpose whereof we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Agra who shall look into the complaint, visit the site, collect relevant information and if finds violation, take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

4. The District Magistrate shall be nodal agency for coordination and compliance.

5. The said Committee shall submit an action taken report within three months with the Registrar General of this Tribunal who shall place the report before the Bench if find necessary for any further order.

6. The report shall be submitted by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

7. With the above direction/observations this OA is disposed of."

As per the Hon'ble NGT order Joint Committee was formed having member of State PCB and District Administration as a Nodal Agency for coordination and compliance.

1. Additional District Magistrate (City) has been nominated by District Magistrate; Agra vide order dated 28.02.2023. **(Annexure-1)**
2. Regional, Officer, Agra has been nominated as a member on behalf of State Pollution Control Board vide letter dated 10.04.2023. **(Annexure-2)**

The Joint Committee visited the said area on dated 19.05.2023.

At the time of inspection Shri Dharmveer Singh, Junior Engineer, Agra Development Authority, Agra, Shri Rakesh, Project Engineer M/s R.P Infra Venture Pvt Ltd. was present and Shri Haribhan Singh, Farmer of the said agricultural land was present. At the time of inspection, the said agriculture land was found empty. No stone crusher and big furnace for burning of coal tar activities has been found on the said land.

Shri Dharamveer Singh, J.E, ADA informed that work order for construction of inner ring road, phase-2 was awarded to M/s R.P Infra Venture Pvt Ltd. in the year 2016 **(Annexure-3)** and after completion of the construction of inner ring road, phase-2 on dated 15.09.2022, final certificate was given to M/s R.P Infra Venture Pvt Ltd. on dated 31.03.2023 **(Annexure-4).** Land owner Shri Haribhan Singh informed that the said land has been given on rent to M/s R.P Infra Venture Pvt Ltd. and Shri Rakesh Kumar informed that the said land has been used as a project office, for parking the vehicles used in the construction of road and to store the raw material for construction. Photographs of the said land is annexed as **(Annexure-5).**

The Joint Committee has also visited the pond used by domestic cattle for drinking purposes. During inspection no dumped garbage or any kind of solid waste has been found along the pond. The Photographs of the said pond is annexed as **(Annexure-6).**

The Joint Report is being submitted for your kind perusal and necessary action.

31/05/23
(Vishwanath Sharma)
Regional Officer

31/05/23
Additional District Magistrate (City)
Agra

A-1

टिप्पणी एवं आदेश

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–893/2022 (वरून कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में विलेज एण्ड पोस्ट –गुतिला, ब्लाक बरौली अहीर जनपद–आगरा के अन्तर्गत श्री जरीबान सिंह, श्री राम प्रसाद, श्री रतन सिंह व श्री धन सिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या–105(ए) एवं (बी) 2.5835 हेक्टेयर भूमि को सड़क निर्माण कम्पनी को औद्योगिक गतिविधियों के उपयोग हेतु दिये जाने एवं उक्त स्थल पर स्टोन क्रशिंग कर फर्नेस के माध्यम से कोलतार को जलाये जाने एवं पास में स्थित तालाब, जिसका उपयोग घरेलू जानवरों द्वारा पीने के पानी के रूप में किया जाता है, के पास कूड़ा एकत्रित किया जाने के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता श्री वरुण कुमार शर्मा द्वारा मा0 अधिकरण में दिनांक 21.07.2022 को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था। जिसमें मा0 अधिकरण के द्वारा दिनांक 20.02.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:–

"……3. In our view the complaint and the grievance raised in the matter can be examined by the Local Authorities, for the purpose whereof we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Agra who shall look into the complaint, visit the site, collect relevant information and if finds violation, take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

4. The District Magistrate shall be nodal agency for coordination and compliance.

5. The said Committee shall submit an action taken report within three months with the Registrar General of this Tribunal who shall place the report before the Bench if find necessary for any further order.

6. The report shall be submitted by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. ….."

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों में जिलाधिकारी महोदय को को–ऑर्डिनेशन एवं कम्प्लाईंस हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। जिसकी ऐक्शन टेकन रिपोर्ट तीन माह के अन्दर रजिस्ट्रार जनरल, एन0जी0टी0 को प्रेषित की जानी है। उपरोक्त के कम में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की ओर से किसी अधिकारी को नामित करना चाहें, ताकि मा0 अधिकरण के उक्त आदेशानुपालन में ऐक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके।

28/2/23

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

ADM City नामित

28/2/23

जिलाधिकारी,
आगरा।

A-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 491705 /सी–4/विधि/एनजीटी–356/22 दिनांक 10-4-23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

विषय : **मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0–893/2022 वरून कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0–893/2022 वरून कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"....3. *In our view the complaint and the grievance raised in the matter can be examined by the Local Authorities, for the purpose whereof we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Agra who shall look into the complaint, visit the site, collect relevant information and if finds violation, take appropriate remedial action in accordance with law within two months.*

4. *The District Magistrate shall be nodal agency for coordination and compliance.*
5. *The said Committee shall submit an action taken report within three months with the Registrar General of this Tribunal who shall place the report before the Bench if find necessary for any further order.*
6. *The report shall be submitted by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*
7. *With the above direction/observations this OA is disposed of.*
8. *A copy of this order be forwarded to the State PCB and District Magistrate, Agra by email for compliance."*

अतः बोर्ड के विधि अनुभाग से प्राप्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, आगरा से समन्वय स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही/आख्या से मुख्यालय को भी अवगत करायें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

A-3

आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :– SS/DIEEIIRR/16 दिनांक :– 28-9-16

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
इनर रिंग रोड
आगरा

सेवा में,

मैसर्स आर.पी.इन्फ्रावेन्चर प्रा0 लि0
सी–345, ईस्ट एण्ड अपार्टमेन्ट
चिला नई दिल्ली 110096

Received
28/9/16

विषयः फतेहाबाद रोड से देवरी रोड तक आगरा इनर रिंग रोड का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26.09.2016 को धनांक रू. 250,78,67,305.00 (रूपया दो सौ पचास करोड अठहत्तर लाख सरंसठ हजार तीन सौ पांच मात्र) की स्वीकृति आपके पक्ष में प्रदान कर दी गयी है। कार्य की 5 प्रतिशत जमानत धनराशि रू 12,53,93,366.00 है।

अतः आप पत्र प्राप्ति के दस दिवस के अंदर वांछित स्टाम्प निम्नानुसार जमा कर अनुबन्ध की औपचारिकताऐं पूर्ण कराने का कष्ट करें–

1 जमानत नगद जमा करने पर जमानत धनराशि पर रूपये 125/–प्रति हजार की दर से स्टाम्प जमा करें।

अथवा

2 राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करने पर जमानत धनराशि पर रू0 70.00 प्रति हजार की दर से स्टाम्प जमा करें।

अथवा

3 राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी निर्माण अवधि हेतु जमा करने पर मात्र रूपये 100.00 का स्टाम्प जमा करना तथा कार्य समाप्ति पर कार्य समाप्ति की तिथि/अन्तिम भुगतान की तिथि जो भी बाद में हो 5 प्रतिशत जमानत धनराशि की बैंक गारन्टी दो वर्ष सात माह पन्द्रह दिन के लिये देनी होगी।

4 शासनादेश सं0–3065/आठ–1–06–57डीए/02 दिनांक 7 जून, 2006 के सन्दर्भ में रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार देना होगा।

5 उत्तर प्रदेश भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनिमय), अधिनियम 1996 तथा सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम–1996 एंव तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 के अन्तर्गत उ0प्र0 भवन सन्निर्माण विकास कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती व श्रम विभाग से पंजीकरण कराना होगा।

6 उपरोक्त कार्य में जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 28.02.2014 को अन्तिम रूप से जारी मिट्टी का बाजारू मूल्य रू. 40.00 प्रति घन मीटर लिया गया है । जिला प्रशासन द्वारा यदि उक्त दर में कोई कटौती की जाती है तब तदनुसार आपकी दरों से मिट्टी के मूल्य में कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा जो आपको मान्य होगा।

7 उपरोक्त कार्य दिनांक 01.10.2016 से प्रारम्भ कर दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण करना होगा।

भवदीय

अधिशासी अभियंता
इनर रिंग रोड

प्रतिलिपि :–

A-4

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

अन्तिम बिलों के साथ संलग्न किये जाने के लिये प्रमाण–पत्र

अनुबन्ध संख्या– 10/D/EE-2/16 Dated:- 07-10-2016

कार्यादेश संख्या– 55/D/EE/IRR/16 Dated:- 28-09-2016

कार्य का नाम – फतेहाबाद (SH-62) रोड से देवरी रोड तक इनर रिंग रोड फेस–II का निर्माण कार्य।

एजेंसी का नाम मै0 आर0पी0 इन्फ्रावेन्चर प्रा0लि0

प्रमाणित किया जाता है कि

1. (अ) कार्य सन्तोषजनक रूप से किया गया तथा स्वीकृत मानचित्र एवं स्थल के अनुसार दिनॉक–15.09.22को पूर्ण किया गया है ।अन्तिम विचलन तालिका संशोधित में स्पष्ट कर दी गयी है ।

   (ब) कार्य कार्यादेश (वर्क आर्डर) में दिए गये निर्धारित समय के अन्दर ही पूर्ण कर दिया गया या कार्य देर से करने के लिये ठेकेदार के प्रार्थना पत्रा पर आवश्यक समय बढाये जाने की स्वीकृति दे दी गयी है। कार्य देर से पूर्ण किये जाने के कारण ठेकेदार पर ......NIL......अर्थदण्ड लगा दिया गया है।

2. (अ) इस कार्य के लिए ठेकेदार को विकास भण्डार से दी गयी सभी बस्तुओं का मूल्य इस अन्तिम बिल में से काट लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में ठेकेदार से कुछ ओर लेना शेष नहीं है।

   (ब) नियमित पदार्थ जैसे सीमेन्ट आदि जो ठेकेदार को इस कार्य के लिए दिये गये थे, वे सब वास्तव में इसी कार्यपर ही प्रयोग किए गये ।

   (स) जिस सामान के लिए बिल में से कटौती की गई है उसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान ठेकेदार को नहीं दिया गया ।

3. उस मलवे का मूल्य जो प्रयोग किये जाने योग्य था बिल से काट दिया गया है । शेष मलवा प्रयोग किये जाने योग्य न था अतः आदेशानुसार फिकवा दिया गया ।

4. प्रयोग किये जाने योग्य निम्नांकिल पुराना सामान विकास के भण्डार में जमा कर दिया गया है जो उसके सम्मुख लिखित स्टाक बुक के पृष्ठ ....\\....–.....पर दर्ज कर दिया गया है।

5. कार्य के स्थान से मिट्टी मलवा आदि हटाकर ठेकेदार द्वारा उसे स्वच्छ कर दिया गया है।

6. ठेकेदार ने कार्य सम्पादन के लिए पानी कुए/हैण्ड पम्प /पोखर/नाली/सार्वजनिक नल / निजीपम्प / महापालिका की पानी गाड़ी से प्राप्त किया है।

7. सार्वजनिक नल / मीटर रहित नल निजी / महापालिका की निजी गाड़ी से प्राप्त किये पानी का मूल्य ।

29.03.2023
अवर अभियन्ता

29.03.23
सहायक अभियन्ता
इनर रिंग रोड

A-5

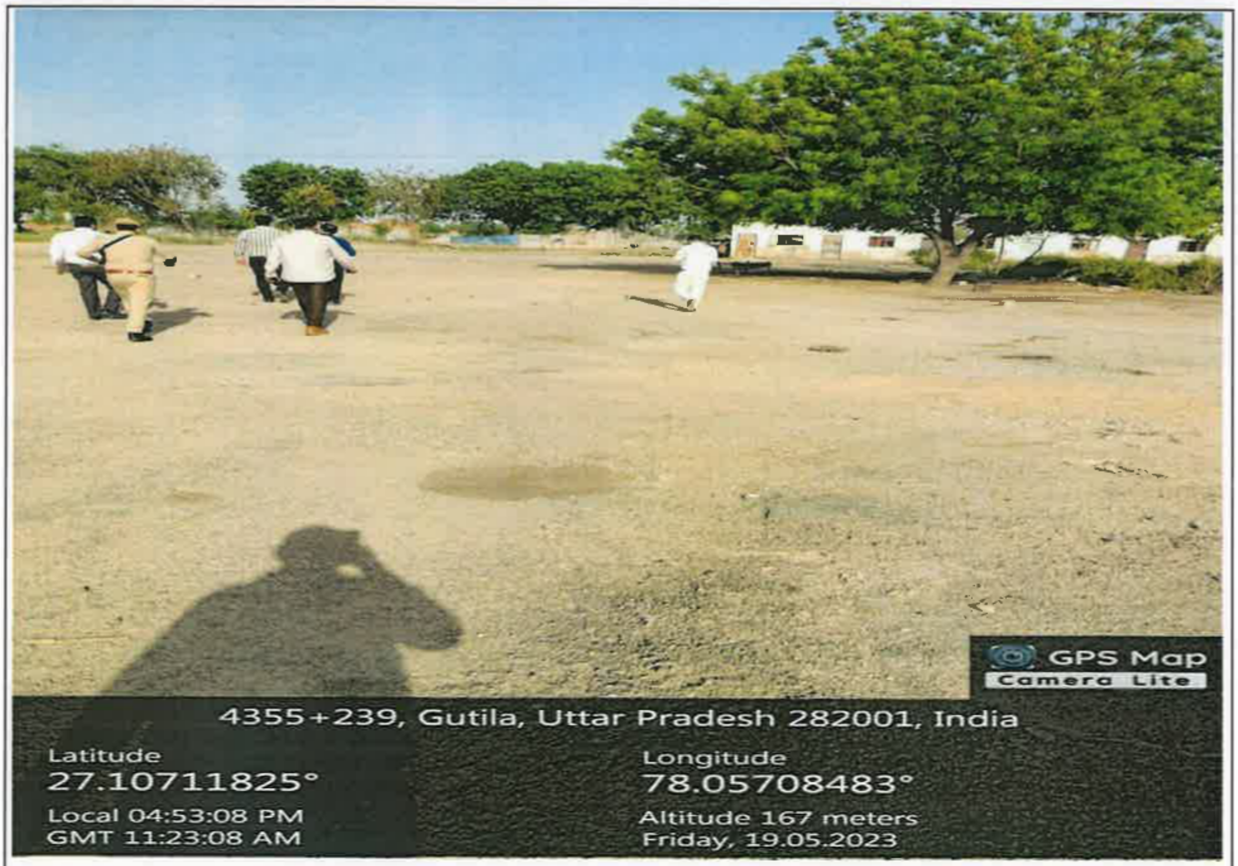
GPS Map
Camera Lite
4355+239, Gutila, Uttar Pradesh 282001, India
Latitude
27.10711825°
Local 04:53:08 PM
GMT 11:23:08 AM
Longitude
78.05708483°
Altitude 167 meters
Friday, 19.05.2023

GPS Map
Camera Lite
4355+239, Gutila, Uttar Pradesh 282001, India
Latitude
27.10711289°
Local 04:52:53 PM
GMT 11:22:53 AM
Longitude
78.05699398°
Altitude 167 meters
Friday, 19.05.2023

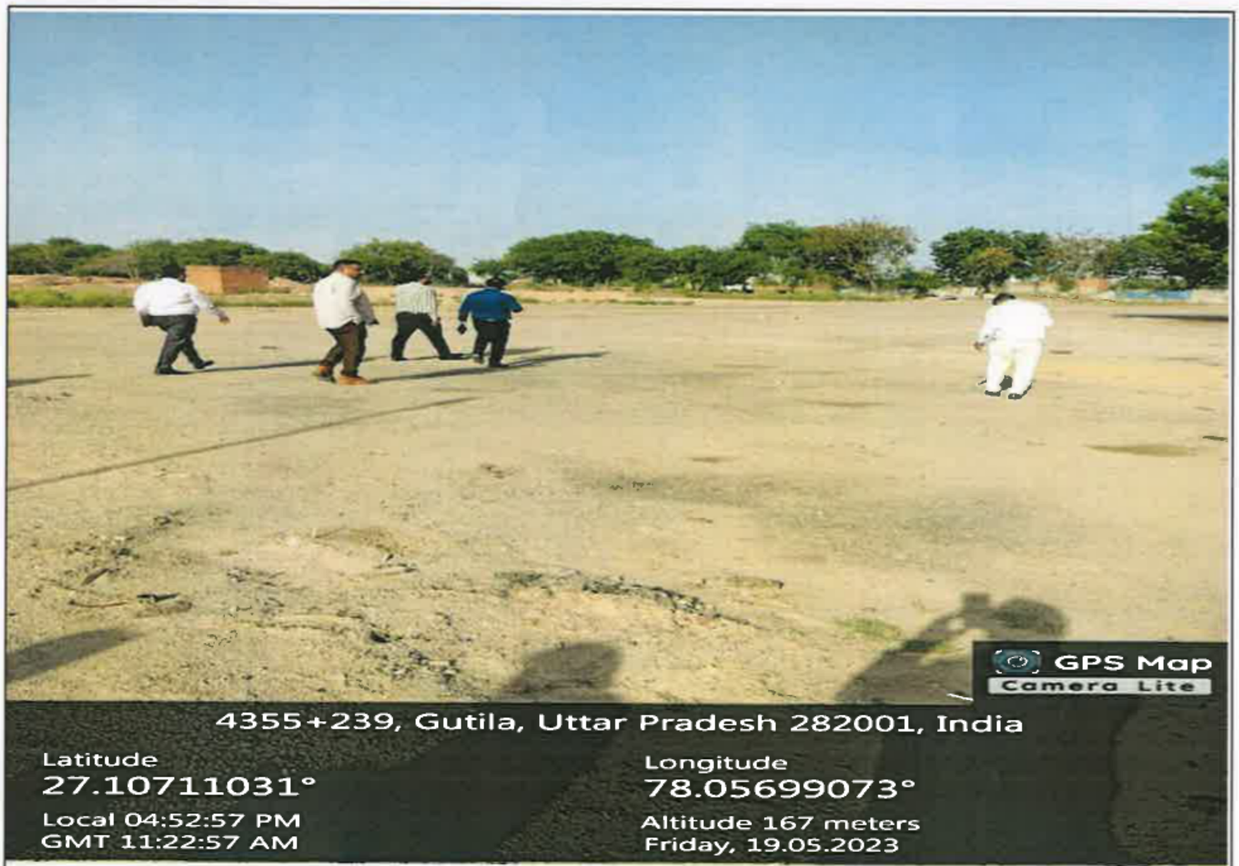
GPS Map
Camera Lite
4355+239, Gutila, Uttar Pradesh 282001, India
Latitude
27.10711031°
Local 04:52:57 PM
GMT 11:22:57 AM
Longitude
78.05699073°
Altitude 167 meters
Friday, 19.05.2023

GPS Map
Camera Lite
4355+239, Gutila, Uttar Pradesh 282001, India
Latitude
27.10703769°
Local 04:51:22 PM
GMT 11:21:22 AM
Longitude
78.05692792°
Altitude 167 meters
Friday, 19.05.2023

A-6

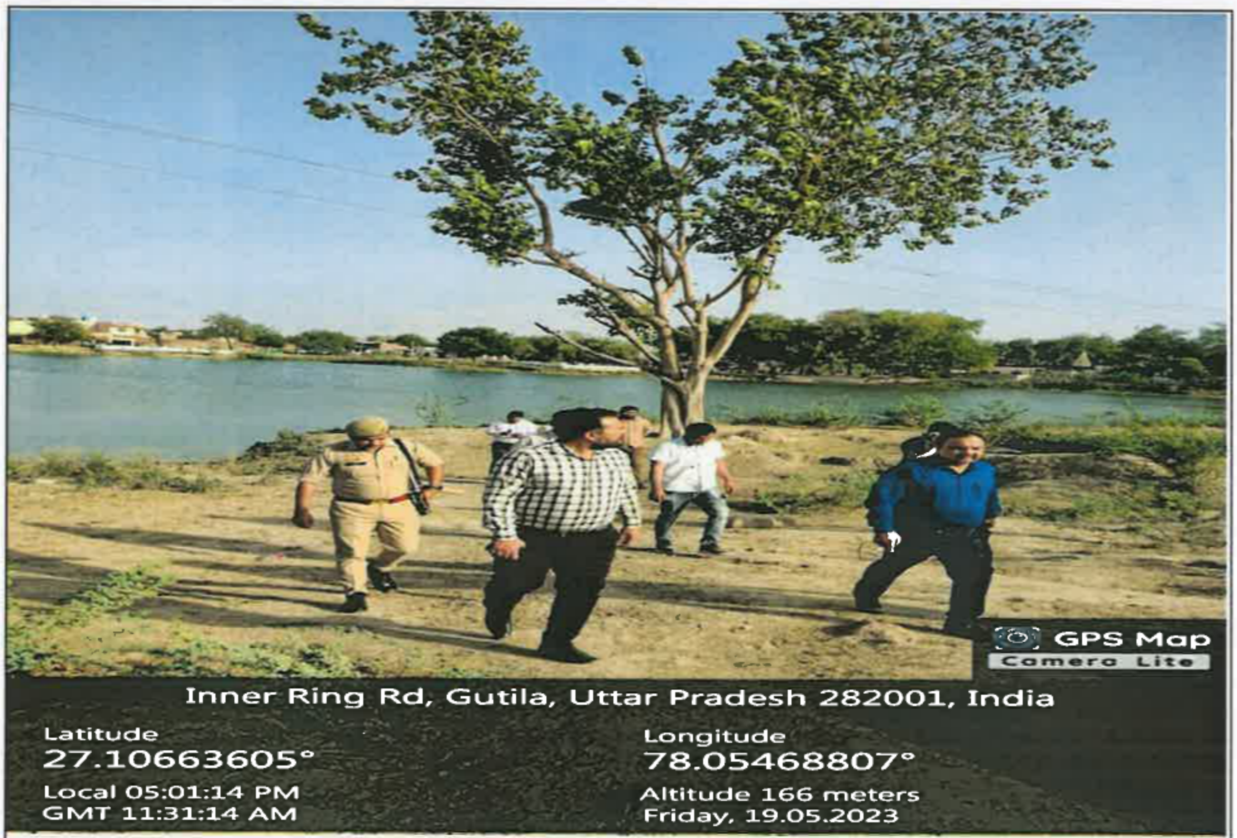
GPS Map
Camera Lite
Inner Ring Rd, Gutila, Uttar Pradesh 282001, India
Latitude
27.10663605°
Local 05:01:14 PM
GMT 11:31:14 AM
Longitude
78.05468807°
Altitude 166 meters
Friday, 19.05.2023

GPS Map
Camera Lite
4334+X38, Gutila Rd, Gutila, Uttar Pradesh 282001, India
Latitude
27.10640722°
Local 04:58:50 PM
GMT 11:28:50 AM
Longitude
78.05476389°
Altitude 166 meters
Friday, 19.05.2023

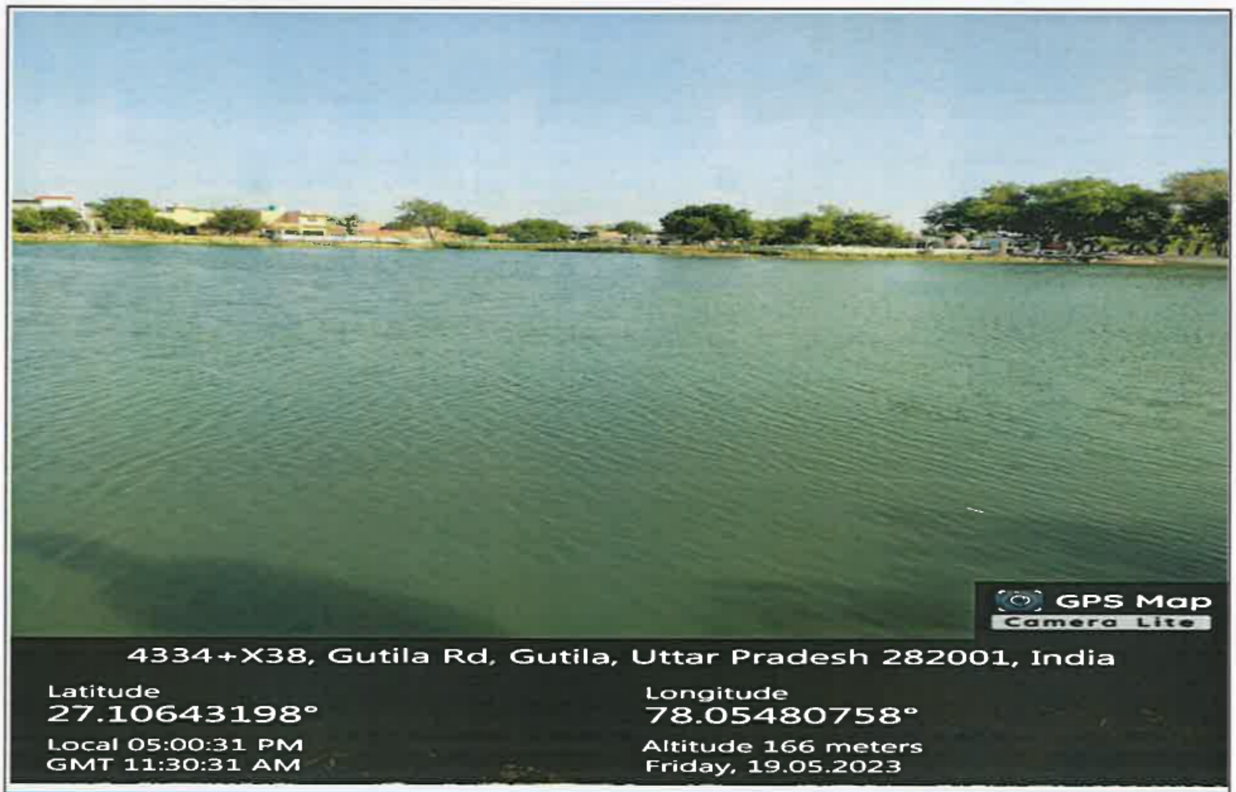
GPS Map
Camera Lite
4334+X38, Gutila Rd, Gutila, Uttar Pradesh 282001, India
Latitude
27.10643198°
Longitude
78.05480758°
Local 05:00:31 PM
GMT 11:30:31 AM
Altitude 166 meters
Friday, 19.05.2023

GPS Map
Camera Lite
4334+X38, Gutila Rd, Gutila, Uttar Pradesh 282001, India
Latitude
27.10644276°
Longitude
78.05477123°
Local 04:58:38 PM
GMT 11:28:38 AM
Altitude 166 meters
Friday, 19.05.2023